बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या–वन्य प्राणी–16 / 2025 / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–...... / 04 / 2026

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम–3 के उप नियम–2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त नियम की अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु निर्धारित परिवेशीय ध्वनि स्तर मानकों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ विभागीय अधिसूचना संख्या–407(ई०) दिनांक–05.04.2018 द्वारा राज्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय एवं शांत क्षेत्रों को प्रवर्गीकृत किया गया है, जिसके तहत राज्य के सभी वन्यप्राणी संरक्षित आश्रयणी के आस–पास के ईको–संवेदी जोन को "शांत क्षेत्र" घोषित किया गया है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No.-202/1995 के अन्तर्गत दायर I.A. No.-20650/2023 में दिनांक–17.11.2025 को पारित आदेश द्वारा व्याघ्र आरक्ष (ईको संवेदी जोन सहित) को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत शांत परिक्षेत्र / क्षेत्र अधिसूचित करने, व्याघ्र आरक्ष के प्राधिकार को शांत परिक्षेत्र / क्षेत्र के प्रावधानों को लागू करने हेतु उक्त नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित शक्तियाँ प्रदान करने तथा राज्य के सभी संरक्षित क्षेत्रों एवं उनके ईको संवेदी जोन, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं संबंधित राज्य के वन अधिनियम के अन्तर्गत वन के रूप में अधिसूचित हैं, को शांत परिक्षेत्र / क्षेत्र घोषित करने का निदेश दिया गया है।

3.(i) उक्त के आलोक में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष (ईको संवेदी जोन सहित) बेतिया, पश्चिम चम्पारण को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत शांत परिक्षेत्र / क्षेत्र प्रवर्गीकृत किया जाता है।

(ii) राज्य के सभी संरक्षित क्षेत्रों एवं उनके ईको संवेदी जोन, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत वन के रूप में अधिसूचित हैं, को शांत परिक्षेत्र / क्षेत्र प्रवर्गीकृत किया जाता है।

(iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम–2 (ग) के अन्तर्गत शांत परिक्षेत्र / क्षेत्र के प्रावधानों को लागू करने हेतु विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों तथा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के ईको संवेदी जोन के अन्तर्गत अधिसूचित वन भूमि क्षेत्र में सहायक वन संरक्षक से अन्यून वन पदाधिकारी तथा ईको संवेदी जोन में सम्मिलित गैर वन क्षेत्र में प्रवर्त्तन की शक्ति पुलिस उपाधीक्षक तथा अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारियों को प्रदान की जाती है।

4. इस संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–पर्या०/वन–05/2010–407(ई०) दिनांक–05.04.2018 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(राजीव कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन्य प्राणी–16/2025 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–....../04/2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजीव कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन्य प्राणी–16/2025 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–....../04/2026

प्रतिलिपि :– बिहार सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/माननीय उप मुख्य (पर्यावरण एवं वन) मंत्री के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,/सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजीव कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन्य प्राणी–16/2025 2089/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–15/04/2026

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.4.2026
(राजीव कुमार)
सरकार के उप सचिव